रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226802
CG-DL-E-30042021-226802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1599] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943
No. 1599] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सं. 4/2015–20

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.25 में संशोधन।

का.आ. 1723(अ).—समय–समय पर यथा सं"ाोधित विदे"ा व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदे"ा व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदे"ा व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 2.25 में निम्नानुसार सं"ाोधन करती हैः

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 का मौजूदा पैरा 2.25	विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 का सं"ाोधित पैरा 2.25
ई–कॉमर्स पोर्टल, डाक अथवा कूरियर के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं सहित वस्तुओं का आयात जहां उपहारों के रूप में सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मांगी जाती है, जीवन रक्षक दवाओं/औषधियों और राखी (परंतु राखी से संबंधित उपहार नहीं) को छोड़कर, निषिद्ध है। व्याख्या : 1. राखी (परंतु राखी से सम्बधित उपहार नहीं) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(6) के तहत शामिल होगी, जिसमें कहा गया है कि''.... कोई शुल्क एकत्रित नहीं किया जाएगा यदि लगायी जाने वाली शुल्क की रा"ा 100/– रुपए के बराबर है या	ई–कॉमर्स पोर्टल, डाक अथवा कूरियर के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं सहित वस्तुओं का आयात जहां उपहारों के रूप में सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मांगी जाती है, जीवन रक्षक दवाओं/औषधियों/ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और राखी (परंतु राखी से संबंधित उपहार नहीं) को छोड़कर, निषिद्ध है। ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर के लिए छूट निजी उपयोग के लिए केवल 31 जुलाई 2021 की अवधि तक अनुमत है। व्याख्या : 1. राखी (परंतु राखी से सम्बधित उपहार नहीं) सीमा शुल्क

उससे कम है।" 2. संपूर्ण लागू शुल्कों के भुगतान के साथ उपहारों के रूप में वस्तुओं का आयात अनुमत है।	अधिनियम 1962 की धारा 25(6) के तहत शामिल होगी, जिसमें कहा गया है कि''.... कोई शुल्क एकत्रित नहीं किया जाएगा यदि लगायी जाने वाली शुल्क की राशि 100/- रुपए के बराबर है या उससे कम है।" 2. संपूर्ण लागू शुल्कों के भुगतान के साथ उपहारों के रूप में वस्तुओं का आयात अनुमत है।

अधिसूचना का प्रभाव: डाक, कूरियर अथवा ई–कॉमर्स पोर्टल, के माध्यम से निजी उपयोग हेतु ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर के आयात को छूट प्राप्त श्रेणियों में जहां ''उपहार'' के रूप में सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मांगी जाती है, दिनांक 31 जुलाई 2021 तक शामिल करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.25 को संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/93/180/16/एएम–16/पीसी–II (ख)/ई–1713]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2021

No. 4/2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.25 of Foreign Trade Policy, 2015-20.

S.O. 1723(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of the FT(D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 2.25 of Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020 as under:

Existing Para 2.25 of FTP, 2015-2020	Revised Para 2.25 of FTP, 2015-2020
Import of goods, including those purchased from e-commerce portals, through post or courier, where Customs clearance is sought as gifts, is prohibited except for life saving drugs / medicines and Rakhi (but not gifts related to Rakhi). *Explanation:* 1.*Rakhi (but not gifts related to Rakhi) will be covered under Section 25(6) of Customs Act, 1962 that reads "...... no duty shall be collected if the amount of duty leviable is equal to or less than Rs.100/-"* *2. Import of goods as gifts with payment of full applicable duties is allowed*	Import of goods, including those purchased from e-commerce portals, through post or courier, where Customs clearance is sought as gifts, is prohibited except for life saving drugs/ medicines/ **oxygen concentrators** and Rakhi (but not gifts related to Rakhi). The exemption for oxygen concentrators is allowed only for a period till 31 July 2021 for personal use. *Explanation:* 1.*Rakhi (but not gifts related to Rakhi) will be covered under Section 25(6) of Customs Act, 1962 that reads "...... no duty shall be collected if the amount of duty leviable is equal to or less than Rs.100/-"* *2. Import of goods as gifts with payment of full applicable duties is allowed*

Effect of the Notification: Para 2.25 of Foreign Trade Policy, 2015-20 is revised to include import of **oxygen concentrators for personal use** through post, courier or e-commerce portals in the list of exempted categories, where Customs clearance is sought as "gifts", till 31 July 2021.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/93/180/16/AM-16/PC-II(B)/E-1713]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &
Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.30 22:00:04 +05'30'